Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arms Appeal Case No.-98/2024]

Kumari Hema.....Petitioner/Appliant

Versus

The State of Bihar .....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.06.2025	**आदेश** यह आर्म्स अपील वाद जिला दण्डाधिकारी, सुपौल द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0-02-06/2023 में दिनांक 30.5.2024 को पारित आदेश (ज्ञापांक-648-2/श0, दिनांक-30.05.2024) के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR अभिलेख पर है। दिनांक-24.05.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी (DM, Supaul) की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner कुमारी हेमा, पति-श्री योगनन्दन कुमार योगेश, ग्रा0-गुड़िया, वार्ड नं0-09, थाना-जदिया, जिला-सुपौल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या- CWJC No. -3954/2022 में दिनांक-19.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में राईफल की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अपना आवेदन (दिनांक-18.01.2023) जिला दण्डाधिकारी, सुपौल के समक्ष दाखिल किया गया। Petitioner का कहना है कि उनके ससुर राजेन्द्र यादव की हत्या अपराधियों के द्वारा वर्ष 2012 में कर दी गयी थी। तथा यह कि उन्हें अपने एवं परिवार के सुरक्षा हेतु राईफल की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। तथा यह कि वे शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता धारित करते हैं। जिला दण्डाधिकारी, सुपौल-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-648-2/श0, दिनांक-30.5.2024) का अवलोकन किया। उक्त आदेश के Findings में अंकित है कि "आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के बिन्दु पर प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन एवं आवेदिका द्वारा सुनवाई के क्रम में रखे गये तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष, जदिया एवं पुलिस अधीक्षक, सुपौल से प्रतिवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है। प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन एवं साक्षात्कार के दौरान पाये गये तथ्यों के आलोक में इस बात का समाधान नहीं हो पाता है कि आवेदिका के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का पर्याप्त कारण है। स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक, सुपौल द्वारा आवेदिका को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कोई अनुशंसा नहीं की गयी है। अभिलेख के अवलोकन के क्रम में यह विदित होता है कि शस्त्र की आवश्यकता/औचित्य पर आवेदिका के द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के अलावे कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत समस्त कागजात के अवलोकनोपरांत आवेदिका को जीवन एवं सम्पत्ति की	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

R

04.06.2025

रक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आयुध नियम-2016 के नियम 12(3)(a) के तहत आवेदिका को बिना यथेष्ट कारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।''

जिला दण्डाधिकारी के स्तर से आर्म्स अधिनियम,1959 एवं आर्म्स नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अनुसार आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन तथा अर्हता के संदर्भ में कारणों का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया गया है। अपीलाधीन आदेश में Arms Act, 1959 के Section 14(3) के तहत Reasons for Refusal of Arms License यथोचित रूप से अंकित है। Petitioner की ओर से जिला दण्डाधिकारी के उक्त Findings को Disprove करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

उपरोक्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जिला दण्डाधिकारी,सुपौल-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी का अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-648-2/श0, दिनांक-30.5.2024) संगत कानूनी प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। जो विधिमान्य है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ LCR निम्न न्यायालय को भेजें।

Rajeev K.
04/6/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं शुद्धित।

Rajeev K.
04/6/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3493 /विधि सहरसा, दिनांक 4-6-2025

प्रतिलिपि :- जिला दण्डाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आर्म्स अपील वाद सं0-98/2024 में दिनांक-04.06.2025 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सुपौल को उनके पत्रांक-1454-2, दिनांक-28.11.2024 से प्राप्त संचिका संख्या-**02-06/2023 (टि0पृ0-01-08, प0पृ0-01-57)** मूल में आदेश की प्रति के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- कुमारी हेमा, पति-योगेश नन्दन कुमार योगेश, सा0+पोस्ट-गुड़िया, वार्ड नं0-09, थाना-जदिया, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

4.6.25

प्रशाखा पदाधिकारी (विधि)
कोशी प्रमंडल, सहरसा।